FORM
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई मुकाम अराई (अजमेर)

- जितेन्द्र पुत्र भवानीबक्ष जाति ढोली उम्र 34 साल निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज. । –प्रार्थी

बनाम

- ग्राम पंचायत मण्डावरिया जरिये सरपंच मण्डावरिया तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान अन्य। –अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू.राज.अधि. 1956

नंबर 56/2024
ऑनलाइन नंबर 2024 / 2024/65

वकील प्रार्थी :– हनुमान प्रसाद शर्मा वकील अप्रार्थीगण....................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
02/7/24	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील प्रार्थी श्री हनुमान प्रसाद शर्मा ने अन्तर्गत धारा 75 भू.राज.अधि. 1955 के तहत पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अराई ~~पत्रावली पेश हुई आज.......................... .... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..................को पेश हो।~~ ~~पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.................. दिनांक.................. को पेश हो।~~	
12/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अवकाश पर पधारे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.................. दिनांक 23/8/24... को पेश हो।	
23/8/24	पत्रावली पेश हुई आज.....किशनगढ़ बार...... ...[illegible].......... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29/11/24....को पेश हो।	

.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..21.3.25...को
पेश हो।

21/3/25 पत्रावली पेश हुई आज...अवकाश...
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..21.5.25...को
पेश हो।

2/5/25
पत्रावली पेश हुई आज...बार [illegible]...
.... की ओर से कार्य स्थगन रखा गया।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक..22/8/25...को
पेश हो।

WB

24/8/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली अवलोकन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली में निर्णय पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो।

WB
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अराई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमति नीतू मीना (R.A.S.)
प्रार्थना पत्र संख्या – 56/2024 " उनवान जितेन्द्र बनाम ग्राम पंचायत मण्डावरिया

1. जितेन्द्र पुत्र स्व. भवानीबक्ष जाति ढोली आयु 34 साल निवासी ग्राम झाडोल तहसील अराई जिला अजमेर राज. **–अपीलार्थी**

बनाम

1. ग्राम पंचायत मण्डावरिया जरिये सरपंच , ग्राम पंचायत मण्डावरिया तहसील अराई जिला अजमेर।
2. तहसीलदार तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान। **– प्रत्यर्थीगण**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 वास्ते ग्राम पंचायत मण्डावरिया के नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 21.09.2023 को शून्य घोषित करने हेतु</u>

!! <u>निर्णय</u> !!

दिनांकः–22/8/25

1. संक्षिप्त में अपील की सार इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक अपील जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टस के ग्राम झाडोल तहसील अराई जिला अजमेर में भूमि खाता संख्या 180 के खसरा संख्या 560, 561, 572, 573, 574 कुल खसरा 05 कुल रकबा 1.6827 हैक्टैयर स्थित है जिसमें अपीलार्थी का 1/6 हिस्सा निहित है तथा अपीलार्थी की माता पुष्पा देवी पत्नी भवानीबक्ष ने उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा अपीलार्थी को जरिये पंजीकृत उपहार प्रलेख के दिनांक 23.06.2023 को अन्तरण किया गया था जो उपपंजीयक कार्यालय अराई में दिनांक 23.06.2023 को पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 128, पृष्ठ संख्या 154 क्रम संख्या 20233181100651 पर पंजीबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 361 के पृष्ठ क्रमांक 1320 पर चस्पा किया गया, लेकिन उक्त उपहार प्रलेख के नामान्तरण की जानकारी करने पर अपीलार्थी को ज्ञात हुआ कि जमाबन्दी में अपीलार्थी का नाम उपहार नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 22.08.2023 निरस्त का इन्द्राज किया हुआ है, पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 02.08.2023 को नामान्तरण भरकर जांच कर दी गई, जिसे भू. अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 10.08.2023 को समस्त अंकन सही होने की रिपोर्ट की गई। दिनांक 22.08.2023 को ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 22.08.2023 के प्रस्ताव संख्या 15 के द्वारा आगामी बैठक में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है का पृष्ठांकन सरपंच मण्डावरिया द्वारा किया गया तथा आगामी बैठक दिनांक 21.09.2023 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा सर्वसम्मति से कोरम ने उपहार नामान्तरण को अस्वीकार किया गया है का अंकन करते हुये नामान्तरण संख्या 1300 को अस्वीकार कर दिया जो कि विधिविरूद्व है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी संख्या 01 सरपंच ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 17.08.2023 निरस्त दिनांक 21.09.2023, को अस्वीकृत करने के आदेश को अपास्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें तथा अपीलाधीन भूमि का उपहार का नामान्तरण अपीलार्थी के नाम खोला जाकर नामान्तरण स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

wb

वकील अपीलान्ट ने धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुये निवेदन किया कि नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 22.08.2023 से अपील पेश होने तक का समय क्षम्य किया जाना आवश्यक है क्योंकी अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति हैं जिनको समय पर जानकारी नहीं हुई सद्भाविक है। जो अपील को गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना आवश्यक है ताकि अपीलान्ट्स के हित अधिकार सुरक्षित रह सके अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पेश अपील में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णीत करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करावें।

हमारे द्वारा वकील वादी की धारा 05 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई मनन किया गया अतः न्यायहित में मियाद को क्षम्य करते हुये अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील दिनांक 02.07.2024 को दर्ज रजिस्टर की गई तथा अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये दिनांक 12.07.2024 को प्रत्यर्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड डाक के नोटिस तामिल हुये किन्तु दिनांक 29.11.2024 तक अनुपस्थित रहने से प्रत्यर्थी संख्या 01 व 02 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई।

3. दिनांक 29.11.2024 को वकील अपीलान्ट्स की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा अपील प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया गया।
4. हमारे द्वारा वकील अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा मूल उपहार प्रलेख का अवलोकन किया गया। अतः वकील अपीलार्थी की बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम झाडौल के खाता संख्या 180 सम्वत 2073—76(जमाबन्दी 2076, वर्ष 2019 से स्थाई), नकल नामान्तरण संख्या 1300, उपहार प्रलेख के अवलोकन के उपरान्त अपील स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 22.08.2023 (निरस्त दिनाक 21.09.2023) को अस्वीकृत करने के आदेश को अपास्त किया जाता है।

!! क्रियात्मक आदेश !!

अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू.राज. अधि. 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत मण्डावरिया द्वारा नामान्तरण संख्या 1300 दिनांक 22.08.2023 (निरस्त दिनाक 21.09.2023) को अस्वीकृत करने के आदेश को अपास्त कर खारिज किया जाता है। तहसीलदार अरांई को आदेश दिया जाता है कि नियमानुसार उपहार प्रलेख दिनांक 23.06.2023 क्रमांक 202303181100651 के अनुसार पुनः नामान्तरण की कार्यवाहीं करें। तहसीलदार अरांई को आदेश पालना की तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 22.8.25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)